संख्या:15/2026/231ई-2/तेरह-2026-399616

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 20 मार्च, 2026

विषयः-मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि. अलीगढ़ यवासवनी की क्षमता 20 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टोलीटर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-80/दो-प्रा.डी.-142/वेव ब्रिवरी अलीगढ़, दिनांक 08-01-2026 एवं पत्र संख्या:-जी-92/दो-प्रा.डी.-142/वेव ब्रिवरी अलीगढ़, दिनांक 11-02-2026 तथा पत्र संख्या:-जी-103/दो-प्रा.डी.-142/वेव ब्रिवरी अलीगढ़, दिनांक 10-03-2026 तथा अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12-03-2026 में लिये गये निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:230ई-2/तेरह-2026-399616, दिनांक 20-03-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 25-02-2026 एवं 11-02-2026 तथा 10-03-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा मामले पर विचार किया गया व सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यवासवनी द्वारा वर्तमान में 24 दिवस एवं 14 दिवस के फरमेण्टेशन सायकिल टाइम के आधार पर बीयर उत्पादन किया जा रहा है, जो तकनीकी मानदंडों (पेरामीटर्स) के अनुसार है और इस समिति द्वारा स्वीकृत नहीं है, फलस्वरूप यवासवनी के फरमेण्टेशन सायकिल टाइम को कम किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., (यवासवनी) अलीगढ़ की बीयर उत्पादन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 20 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यवासवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा इस हेतु आवश्यक प्लान्ट/मशीनरी की स्थापना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही बढ़ी हुई क्षमता पर उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) यवासवक द्वारा नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा बढ़ी हुयी क्षमता पर यवासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) यवासवक द्वारा अनाज से बीयर उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यवासवक द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(7) प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों में आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(9) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

<u>संख्याः-15/2026/231(1)ई-2/तेरह-2026-399616 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।